

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक 16/7/2014

आदेश

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील।

यतः श्री रामरतन मीणा के आवेदन दिनांक 20/02/2014, जो राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा आवेदन के निस्तारण के लिए गृह मंत्रालय को अंतरित की गई थी, जो संबंधित जन सूचना अधिकारी को दिनांक 07.04.2014 को प्राप्त हुई है, में पद्म पुरस्कारों एवं अन्य विषयों से संबंधित सूचनाएँ माँगी गई थी।

2. यतः केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को संबंधित सूचना समसंख्यक पत्र दिनांक 09.05.2014 द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी।

3. यतः श्री मीणा ने अपने पत्र दिनांक 17.04.2014 (दिनांक 10.06.2014 को प्राप्त) में यह अपील की है कि उन्हें उनके आवेदन के आलोक में संबंधित जन सूचना अधिकारी से कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

4. श्री मीणा द्वारा दी गई अपील का अवलोकन किया गया एवं यह पाया गया कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दुवार उत्तर आवेदक को उपलब्ध करा दी गई है। तथापि उपरोक्त प्रत्युत्तर की प्रति संलग्न है।


5. तदनुसार इस अपील का निस्तारण किया जाता है। इस अपील का निस्तारण कार्य की अधिकता के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (6) के अंतर्गत 30 दिनों के बाद परन्तु 45 दिनों के अन्दर किया जा रहा है।

संलग्नक—उपरोक्त

*Handwritten signature*  
16/7/14

(सतपाल चौहान)  
संयुक्त सचिव (प्रशा0)  
एवं अपीलीय अधिकारी  
दुरभाष: 23093178

श्री रामरतन मीणा,  
पुत्र श्री रामपाल मीणा,  
एस 57, नियर कामधेनु शॉपिंग सेंटर,  
शास्त्री नगर, जयपुर,  
राजस्थान-302016।



*Handwritten mark*

*Handwritten note: COPY TO: SO(IT)*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक 05/5/2014

सेवा में,

श्री रामरतन मीणा,  
पुत्र श्री रामपाल मीणा,  
एस 57, नियर कामधेनू शॉपिंग सेंटर,  
शास्त्री नगर, जयपुर,  
राजस्थान-302016।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।


आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के आवेदन दिनांक 20/02/2014, जो राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा आवेदन के निस्तारण के लिए गृह मंत्रालय को अंतरित की गई है, जो अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 07.04.2014 को प्राप्त हुई है, के संबंध में उपलब्ध सूचना निम्न है:

| क्रम संख्या | प्रत्युत्तर   |
|-------------|---|
| 1           | ऐसी कोई समेकित सूची मंत्रालय द्वारा नहीं बनाई जाती है।  |
| 2           | किसी व्यक्ति को पदम पुरस्कार नहीं मिलने का कोई कारण पदम पुरस्कार समिति द्वारा अंकित किया जाता है। |
| 3           | संबंधित सूचना संलग्न है।  |
| 4           | इस संबंध में कोई सूचना अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध नहीं है।                                       |
| 5           | इस संबंध में कोई सूचना अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध नहीं है।                                       |

2. इस मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, कमरा संख्या 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।

म. 22/05/2014  
(श्यामला मोहन)

निदेशक एवं केन्द्रिय जन सूचना अधिकारी



07/04

296

सं. ए-43020/01/2013 अर.टी.आई.

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक : 29/3/2014

कार्यलय जापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुर्की शमरातन मीठा का आवेदन।

\*\*\*\*\*

जयप्रकाशकारी व सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुर्की शमरातन के दिनांक 20 02 2013 के आवेदन (इस संबंध में राष्ट्रपति साहिवालय जतरन द्वारा दिनांक 19/3 2013 के ज्ञापन के प्रशासन प्रकार के अंग्रेजित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि नामों वई सूचना उक्त प्रकार में जियफलायों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदन को सूचित करने वुर आवेदन को सीधे उक्त प्राधिकारी को अंग्रेजित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदन में 100 रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक...../...../2013 को रसीद राष्ट्रपति साहिवालय के तहत जमा कर दिया है (संलग्न) नहीं किया है क्योंकि वह दो फी एक श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

सु. सामंत

(स. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निकेशक (रज. डी)

गृह मंत्रालय

नाथ अलाक

नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुर्की शमरातन मीठा

डुंगरी रामपाल मीठा

रज. डी, नियंत्रण कागदपत्र शाफिरी सेंटर

झारखीनगर, जयपुर, संपर्क नं- 30 2016

(उत्तर अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

7/4/14


us(p)

7/4

07/04

ms. p

1599/सि.ल.2014  
19/2/14



2362/आर.टी.आई./02/13-14  
राष्ट्रपति सचिवालय  
PRESIDENT'S SECRETARIAT  
आर.टी.आई. अनुभाग

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004.  
Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004.  
25, फरवरी 2014


सेवा में,  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
गृह मंत्रालय  
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत श्री रामरतन मीणा का दिनांक 20.02.2014 का आवेदन पत्र दिनांक 25.02.2014 को प्राप्त हुआ है। वांछित सूचना आपके द्वारा धारित/आपके कृत्यों से निकट रूप से संबंधित होने के कारण उक्त आवेदन पत्र आपके कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक ने इसके लिए शुल्क के रूप में ₹-10/- (रुपये दस मात्र) का भुगतान इस सचिवालय में कर दिया है।

अनुभाग अधिकारी,  
सूचना का अधिकार अनुभाग,  
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।



भवदीय  
सौरभ विजय  
(सौरभ विजय)  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री रामरतन मीणा पुत्र श्री रामपाल मीणा  
एस-57, नियर कामधेनु शापिंग सेंटर  
शास्त्रीनगर, जयपुर, राजस्थान- 302016.

वांछित सूचना इस सचिवालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। अतः आपका पत्र संबंधित कार्यालय को हस्तांतरित किया जा रहा है। भविष्य में इससे संबंधित जानकारी के लिए उपरोक्त कार्यालय से सीधे संपर्क करें।

Din (AR)

M.S.G.

सौरभ विजय  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सूचना चाहने के लिये आवेदन का प्रारूप / 353/7 FEB 2014  
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की 6(1) के अन्तर्गत)

प्रेषित:

लोक सूचना अधिकार/सहायक लोक सूचना अधिकारी

कायलिय  
President's Secretariat  
(सूचना का अधिकार) Public Section  
आवृत्ति संख्या/No. 3362/RTI/154  
दिनांक/Date 25-2-14

Public Section of President's Secretariat

1. आवेदक का पूरा नाम Lokesh

रामरतन भीष्ण 6/0 श्री रामपुत्र भीष्ण

2. पता

S-5 नं. निम्नर. कामधेय शापिंग सेंटर  
शास्त्री नगर - जयपुर (राज्य) Pin- 302016

3. सूचना की विशिष्टियां  
विभाग/कार्यालय का नाम जिससे  
सूचना उपबंधित है,  
सूचना की प्रकृति: लिखित एवं दस्तावेजी  
अवधि

Public Section of President's Secretariat

लिखित

7 दि

चाही गयी सूचना का विवरण

तत्सथ संलग्न है।

4. क्या फीस देने का सबूत संलग्न किया गया है?

है

1. आवेदन शुल्क रूपये 10 नकद या आई.पी.ओ. I.P.O.

रिकार्ड के निरीक्षण हेतु शुल्क: विभाग द्वारा मांग करने पर जमा करवा दिया जावेगा।  
रूपये प्रति शुल्क विभाग द्वारा मांग करने पर जमा करवा दिया जावेगा।  
आप यदि आवेदक बी.पी.एल. परिवार से है, 10 रूपये की फीस देय नहीं है।

क्रमांक संख्या: 1

स्थान: - जयपुर

दिनांक - 20/2/2014

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रथम अपील

सक्षम अपील अधिकारी का पदनाम:—श्रीमान् सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग,  
जयपुर।

अपील संख्या:...../2011

अपीलार्थी का नाम व पता: रामरत्न मीणा S/o श्री रामपाल मीणा  
S-57 निपर कार्पोरेट शापिंग सेंटर  
शास्त्रीनगर - जयपुर (राज०)  
Pin- 302016

बनाम्

कार्यालय के भारसाधक का पदनाम: public section of president's  
secretariat

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1)

1. अपीलार्थी का नाम व पता: रामरत्न मीणा S/o श्री रामपाल मीणा  
S-57 निपर कार्पोरेट शापिंग सेंटर शास्त्रीनगर - जयपुर  
(राज०) Pin- 302016

2. चाही गई सूचना की विशेषताएं:-

1. विभाग व कार्यालय का नाम जिससे सूचना संबधित है:-

..... नारायण सेवा रोचाम झर - उत्तरपुर (राजप)

2. सूचना की प्रकृति ..... विधि

3. सूचना के पूर्ण ब्यौरे: ..... संलग्न है

3. ऐसे आदेश जिसके खिलाफ अपील की गई: 0755/एम/आर. सी. आई/02/13-14 / No. A - 27011/2942/06 - RTIA (MA)

4. अपील के आधार 1. नारायण सेवा रोचाम झर उत्तरपुर के मंगे/मंगरी

केलाश मानव' के 'पदमती' अर्थात् के लिए किसी बार एकाई की

2. केलाश मानव' के 'पदमती' अर्थात् पदों की हस्ताक्षरों के लिए

नहीं मिले उसके पीछे क्या कारण हैं।

3. अन्तिम बार जब केलाश मानव' के 'पदमती' के लिए एकाई

मिला तब उन्होंने उसे केलाश मानव' के साथ मिले किन्तु फिर

उनको पदमती अर्थात् से नवाजा गया।

4. क्या कोई व्यक्ति या पदाधिकारी महासचिव, राहपुर मद्यप-से

सुलाकार करते उनके साथ जैसे बिचवाके इस फोरे का सम्बन्ध


अपनी पति के लिए कानून कादित्य पासगी ब औरजनल समी

पर धाप सतरा है/ या नहीं। यदि नहीं है नारायण केक सेलक

जोय है धाप रघ है

5. जुन 2008 में महामहिम जस्टिस महेन्द्र जी का आराधन के  
साथम दार हनुमपुर (राज.) के प्रशासन के से के कि -  
कार्यों से सिद्धि किता था।

संलग्न-


  
प्रार्थी/अपीलाण्ट

स्थान व दिनाक:- 20/2/2014 जयपुर




मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली-110001  
फोन : 011-3342087 • टेलफैक्स : 011-3363105

**परिवार-पत्र**



कमेटी/प्रकोष्ठ पुदरा बाजारी  
नाम श्री राम रतन मीणा  
पदनाम \_\_\_\_\_  
पिता का नाम श्री राम रतन मीणा  
पता ग्राम लोहाल, जिला बलरामपुर, मध्य प्रदेश  
मान्य 25/10/2022 तक

राम रतन मीणा  
कार्ड होल्डर के हस्ताक्षर



**-: उद्देश्य एवं नियम :-**

1. अखण्ड हिन्दुत्व का निर्माण।
2. देश की संस्कृति तथा परम्परा के आधार पर भारत में विशुद्ध लोक-राज्य का निर्माण।
3. विभिन्न जातियों तथा उपजातियों को एक अवशिष्ट समाज में संगठित करना।
4. देशी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना, जिसमें राष्ट्र के सब घटकों के समान अधिकार तथा कर्तव्य हों।
5. राष्ट्र-घटकों को उदात्त गुणों के आधार पर बिचार, प्रचार और पूजा की राष्ट्र-धर्म के अनुकूल रवतंत्रता का प्रवर्धन।
6. सादा जीवन व उच्च विचार तथा भारतीय नारोत्व को उदात्त प्राचीन आदर्शों को पुनर्जीवित कर उनकी उन्नति करना। (स्त्रियों-बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था।)
7. हिन्दुत्व का सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक रूप से शक्तिशाली तथा आत्मनिर्भर बनाना।
8. सर्व प्रकार की सामाजिक असमता को दूर करना।
9. धर्म के विस्तार में प्रचलित अस्वाभाविक असमता को दूर करना।
10. जो लोग हिन्दु धर्म छोड़ गये हैं उनका तथा अन्य लोगों का हिन्दू समाज में स्वागत करना।
11. गौरव करना तथा गीबध बन्द करना।
12. हिन्दी को राष्ट्रभाषा तथा वेवनागरी को राष्ट्र-लिपि बनाना।
13. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा उन्नति के लिए हिन्दुत्व का के हित के अनुकूल मित्रता बढ़ाना।